संख्या-54/2023/3536/22-2-2022-21(98)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2023

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री गजाधर, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री गजाधर, ग्राम औडेरा थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बंदी ने पूर्व में जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को समय लगभग 4:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोलियां मारकर पशुराम व आशाराम व नरपत सिंह नामक 03 व्यक्तियो की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/80 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2022 तक 18 वर्ष 11 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 07 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बंदी को समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने व स्वास्थ्य की दशा समान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, जेल से छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में रंजिश के कारण अप्रिय घटना घटित हो सकती है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पूर्व में जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री गजाधर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र (बन्दी संख्या-14909) पुत्र श्री गजाधर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-54/2022/3536(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।

3- सुश्री रूचिरा गोयल ए0ओ0आर0, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन(एस) (क्रि0) नं0 (एस)-173/2022 महेन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उनके ई-मेल पत्र दिनांक 20.02.2023 सन्दर्भ में।

4- अधीक्षक/नोडल अधिकारी, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन(एस) (क्रि0) नं0 (एस)-173/2022 महेन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-54/2023/3536/22-2-2022-21(98)/2022

दिनांक 22 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री गजाधर, ग्राम औडेरा थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बंदी ने पूर्व में जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को समय लगभग 4:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोलियां मारकर पशुराम व आशाराम व नरपत सिंह नामक 03 व्यक्तियो की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/80 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,307/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2022 तक 18 वर्ष 11 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 07 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा बंदी को समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने व स्वास्थ्य की दशा समान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, जेल से छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में रंजिश के कारण अप्रिय घटना घटित हो सकती है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पूर्व में जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री गजाधर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in